न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 03/2017

अनवान :–

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन,बीकानेर(राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री गौरीशंकर शर्मा पुत्र रेवन्तराम शर्मा जाति ब्राह्म्मण (विक्रेता) मैसर्स महावीर मिष्ठान भण्डार, पैट्रोल पम्प के पास, एन.एच. 11, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। निवासी– बिग्गाबास, एन.एच. 11 के पास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. श्री महावीर प्रसाद सिंधी पुत्र श्री पुरसूमल सिंधी (मालिक) मैसर्स महावीर मिष्ठान भण्डार, पैट्रोल पम्प के पास, एन.एच. 11, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। निवासी वार्ड नं. 11, बिग्गाबास सिंधी कॉलोनी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 28 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी

2– अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से – श्री ओमप्रकाश भादाणी अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.09.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा पुत्र रेवन्तराम शर्मा (विक्रेता) एवं श्री महावीर प्रसाद सिंधी पुत्र श्री पुरसूमल सिंधी (मालिक) मैसर्स– महावीर मिष्ठान भण्डार, पेट्रोल पम्प के पास, एन.एच. 11 श्रीडूंगरगढ़ के यहां दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी कुल 40 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 500 ग्राम भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुवे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) पैकेटो में से 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) नमूना हेतु संग्रह कर उनके द्वारा बताये अनुसार रूपये 320/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–798 लिखा व अन्य विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गौंद से चिपकाया व नियमानुसार चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.2709/Act/ 2016/381 दिनांक 04.10.2016 के

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ भुजिया(पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश भादाणी अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Bhujiya (Pursoomal Mithai Bala)" bearing Code No. and Sr. No. AB-798 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(3), 2.2.2(8),2.2.2(9) and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में भुजिया (पुरसूमलन मिठाईवाला) मिसब्राण्ड होने का जो आरोप लगाया है वह सही नहीं होने से मान्य नहीं है मिसब्राण्ड किस तरह का मिसब्राण्ड है, क्यों मिसब्राण्ड का है स्पष्ट विवरण नहीं होने से आरोप मान्य नहीं है। प्रकरण में की गई कार्यवाही स्पतः स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा बेचे जा रहे सामान/माल में किसी प्रकार की खाद्य पदार्थ संबंधी दोष नहीं है। उक्त विक्रित माल में ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसका उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति पहुंचती हो और ना ही इस प्रकार की कोई शिकायत है ना ही जांच में कोई भी किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति होना बताया गया हो। परिवाद नियमानुसार पेश नहीं है व कानून की पालना पूरी तरह से नहीं की गई है। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार अधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया है। किस ब्राण्ड की कोई सूचना अप्रार्थीगण को पूर्व में नहीं दी गई। अप्रार्थी की छोटी सी दुकान है, जहां अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अप्रार्थी अपनी दुकान पर उच्च क्वालिटी का खाद्य पदार्थ

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाला) ब्राण्ड से विक्रय करता है। जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं पाई गई है मात्र मिसब्राण्ड होना पाया गया है। मिसब्राण्ड होने से मानव उपभोग के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद इसी आधार पर निरस्त फरमाया जावें।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) की सैम्पलिंग रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS.2709/Act/2016/381 दिनांक 04.10.2016 की रिपोर्ट संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में The sample of "Bhujiya (Pursoomal Mithai Dala)" bearing Code No. and Sr. No. AB-798 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(e)(i) of food safety and standards Act, 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(3),2.2.2(8),2.2.2(9) and 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ भुजिया(पुरसूमल मिठाईवाल) (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **25,000/–** अखरे रूपये **पच्चीस हजार** की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

8. अप्रार्थी संख्या 1 श्री गौरीशंकर शर्मा पुत्र रेवन्तराम शर्मा (विक्रेता) मैसर्स महावीर मिष्ठान भण्डार श्रीडूंगरगढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री महावीर प्रसाद सिंधी पुत्र श्री पुरसूमल सिंधी (मालिक) मैसर्स महावीर मिष्ठान भण्डार, पेट्रोल पम्प के पास, एन.एच. 11 श्रीडूंगरगढ़ द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य पदार्थ भुजिया (पुरसूमल मिठाईवाल) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति राशि रू. 25,000/– में से अप्रार्थी संख्या 2 (विनिर्माता) की शास्ति राशि रूपये 20,000/– तथा शेष आरोपित राशि रूपये 5,000/– अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 की शास्ति राशि रूपये 5,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 2 की शास्ति राशि रूपये 20,000/– अदा करेगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

9. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेरएवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 व 2 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर

Scanned by CamScanner